DIRECTORATE OF EDUCATION: GNCT OF DELHI
COORDINATION BRANCH: LUCKNOW ROAD: DELHI
(PH: 23811388)

No.30-3(17)/Coord/Circular/2011/Vol.III/235-241 Dated:- 04/10/2011

To

The DDE (IT)
Patrachar Vidhyalaya
Lucknow Road,
Delhi.

Sub:- Implementation of CIC decision no. CIC/SG/C/2010/001294/14035 dated 11/08/2011 regarding uploading of Delhi Gazettes on the Website of Departments of GNCT of Delhi.

Sir,

In continuation of this office letter of even No. dated 15/09/2011 and reminder dated 21/09/2011, please find enclosed herewith 10 copies of available Gazette notifications for uploading in the Special link and portal link (Provided by GAD, GNCT of Delhi) "Gazette Notifications" in the website of Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi for displaying public domain in pursuance of CIC directive.

If any technical support required may be obtained from Department of IT, GNCT of Delhi.

Encls: As Above. (Page 29)

05.10.11

APO

(Shashi Kaushal)
Addl. Director of Education (Coord.)

Copy to:

1. PS to Secretary, Directorate of Education, Old Secretariat, Delhi.
2. PS to DE, Directorate of Education, Old Secretariat, Delhi.
3. PS to Spl. Secretary (GAD) w.r.t. your letter No.81/1/2009/GAD/CN/RTI/dsgadIII/893-894 dated 18.08.2011

S' No.	Branch	Notification No. & Date	Type	Category	Subject
1		F.33(17)/ Edn./96/903-920 dated 16/06/2008	Extra-Ordinary Part (IV)	Notifications of Departments of Govt. of NCT of Delhi other than Notification included in Part-I	Policy directives for considering/granting extension in service to the Principals and Teachers of Private Recognized Schools who are State/National/ Padma Shree/Padma Bhushan/Padma Vibhushan Awardees.
2.	Coordination	F.30-3(28)/III/Coord/07/1036-1053 dated 16/07/2008	Extra-Ordinary Part (IV)	Notifications of Departments of Govt. of NCT of Delhi other than Notification included in Part-I	Appointment on contract basis of those Principals and Vice Principals in Aided Schools under the Directorate of Education, Govt. of Delhi who have attained the age of 60 years.
3.	GOC	F.26(31)/06/Edn./GOC/3806-15 dated 24/06/2009	Ordinary Part (IV)	Notifications of Departments of Govt. of NCT of Delhi other than Notification included in Part-I	Appointment of Sh. Talwant Singh as Presiding Officer of the Delhi School Tribunal.
4.	Delhi School Tribunal	DE.1(5)/15/RR/Reader/E-I/ 08/18540 dated 18/11/2009	Ordinary Part (IV)	Notifications of Departments of Govt. of NCT of Delhi other than Notification included in Part-I	RR for appointment to the post of Reader in the Delhi School Tribunal.
5.	GOC	F.26(31)/06/Edn./GOC/4019-28 dated 28/05/2010	Ordinary Part (IV)	Notifications of Departments of Govt. of NCT of Delhi other than Notification included in Part-I	Repatriation of Sh. Talwant Singh, Presiding Officer of the Delhi School Tribunal.

6	GOC	F.26(31)/GOC/Edn./4029-38 dated 28/05/2010	Ordinary Part (IV)	Notifications of Departments of Govt. of NCT of Delhi other than Notification included in Part-I	Appointment of Sh. N. P. Kaushik as Presiding Officer of the Delhi School Tribunal.
7.	School	F.Addl.DE (Sch.)/609-623 dated 16/06/2010	Extra-Ordinary Part (IV)	Notifications of Departments of Govt. of NCT of Delhi other than Notification included in Part-I	Declaration of Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas as Specified Category Schools like Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, Sainik Schools.
8.	IEDC	DE40(20/09/IEDC/306/373 dated 04/11/2010	Extra-Ordinary Part (IV	Notifications of Departments of Govt. of NCT of Delhi other than Notification included in Part-I	RR for the post of Special Education Teacher in Directorate of Education.
9.	E.IV	F.DE4(6)(210)/E.IV/2003/412 dated 30/11/2010	Extra-Ordinary Part (IV	Notifications of Departments of Govt. of NCT of Delhi other than Notification included in Part-I	RR for the post of Assistant Teacher (Primary).
10	School	DE.23(467)/Sch. Br./2010/84 dated 20/01/2011	Extra-Ordinary Part (IV	Notifications of Departments of Govt. of NCT of Delhi other than Notification included in Part-I	Appointment of authorized officers for prosecution for the offences punishable under Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33002/99 REGD. NO. D. L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 95]	दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2008/ज्येष्ठ 26, 1930	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 74
No. 95]	DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2008/JYAISTHA 26, 1930	[N.C.T.D. No.74

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जून, 2008

सं.फा. 33 (17)/शिक्षा/96/903-920.—दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 110 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिल्ली के प्रशासक/उपराज्यपाल निजी मान्यताप्राप्त स्कूलों के उन प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों की सेवा में विस्तार हेतु विचार करने/प्रदान करने के लिये निम्नलिखित नीति निदेश जारी करते हैं जिन्हें राज्य/राष्ट्रीय/पद्मश्री/पद्मभूषण/पद्मविभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हो।

1. निजी मान्यताप्राप्त स्कूलों के राज्य पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों की सेवायें संबंधित स्कूल के प्रबंध समिति के अनुरोध पर अधिकतम तीन वर्षों तक बढ़ाई जायेगी।

2. निजी मान्यताप्राप्त स्कूलों के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों की सेवा पहली बार संबंधित स्कूल के प्रबंध समिति के अनुरोध पर तीन वर्षों के लिए बढ़ाई जायेगी। स्कूल की प्रबंध समिति के अनुरोध पर उसे आगे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य तथा शिक्षक की सेवा का विस्तार अधिकतम पांच वर्षों का होगा।

3. निजी मान्यताप्राप्त स्कूलों के पद्मश्री/पद्मभूषण/पद्मविभूषण पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों की सेवा स्कूल की प्रबंध समिति के अनुरोध पर पहली बार पांच वर्षों तक बढ़ाई जायेगी। स्कूल की प्रबंध समिति के अनुरोध पर उसे आगे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पद्मश्री/पद्मभूषण/पद्मविभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सेवाओं का विस्तार इस प्रकार अधिकतम सात वर्षों तक होगा।

4. प्रधानाचार्य तथा शिक्षक को प्रदान किया गया पद्मश्री/पद्मभूषण/पद्मविभूषण पुरस्कार स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये ही दिया जाना चाहिये।

5. पुरस्कार प्राप्त करने वालों की अधिकतम आयु-सीमा विस्तार की अवधि के दौरान 67 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

... following policy directives for considering/granting extension in service to the Principals and T... Recognized Schools who are State/National/Padma Shree/Padma Bhushan/Padma Vibhushan Award...

6. यदि प्रधानाचार्य तथा शिक्षक ने पैरा 1, 2 तथा 3 में उल्लिखित पुरस्कारों की एक से अधिक श्रेणी प्राप्त की हैं तो वह केवल एक श्रेणी के अन्तर्गत सेवा विस्तार का हकदार होगा।

7. सेवा का विस्तार उन मामलों में शैक्षणिक सत्र के अन्तिम दिवस को समाप्त होगा जहाँ विस्तार 1 अक्तूबर या किसी विशेष शैक्षणिक सत्र में बाद में समाप्त होता हो।

8. ऐसे पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य तथा शिक्षक की सेवा में विस्तार करना प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में दिल्ली के माननीय प्रशासक/उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन के अनुसार होगा।

इसे दिनांक 18-3-08 के पत्र संख्या 724-एफ के अनुसार माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन से जारी किया गया है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

अंकिता मिश्रा, संयुक्त सचिव

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 16th June, 2008

No. F. 33(17)/Edn./96/903-920.—The Administrator/Lt. Governor of Delhi in exercise of powers under rule 110 (3) of Delhi School Education Rules, 1973, is pleased to issue the following policy directives for considering/granting extension in service to the Principals and Teachers of Private Recognized Schools who are State/National/Padma Shree/Padma Bhushan/Padma Vibhushan Awardees.

1. The services of State Awardee Principals and Teachers of Private Recognized Schools shall be extended upto maximum 3 years on the request of the Management of the school concerned.

2. The services of the National Awardee Principals and Teachers of the Private Recognized Schools shall in the first instance be extended upto three years on the request of the Management of the school concerned. The same can further be extended upto 2 years on the request of Management of the school. Thus extension of service for a National Awardee Principal and Teacher shall be for a maximum of 5 years.

3. The services of the Padma Shree/Padma Bhushan/Padma Vibhushan Awardee Principals and Teachers of Private Recognized Schools shall be extended in the first instance upto five years on the request of the Management of the school concerned. The same can further be extended upto 2 years on the request of the Management of the School. The extension of services for Padma Shree/Padma Bhushan/Padma Vibhushan Awardees shall thus be for a maximum of 7 years.

4. The Padma Shree/Padma Bhushan/Padma Vibhushan Award granted to a Principal and a Teacher should have been conferred for outstanding work in the field of school education.

5. The upper age limit of the Awardees should not exceed 67 years during the period of extension.

6. If the Principal and the Teacher is recipient of more than one category of Award as mentioned in para 1, 2 and 3, he/she shall be entitled for extension only under one category.

7. Extension of service would terminate on the last day of the academic session in cases where the extension expires on 1st October or later in the particular academic session.

8. The grant of extension in service to such an Awardee Principal and Teacher shall be subject to the prior approval of Hon'ble Administrator/Lt. Governor, Delhi in each individual case.

This issues with the prior approval of Hon'ble Lt. Governor, Delhi, vide No. 724-F dt. 18-3-2008.

By order and in the name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

ANKITA MISHRA, Jt. Secy.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2008/आषाढ़ 25, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 110
No. 113] DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2008/ASADHA 25, 1930 [N.C.T.D. No. 110

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सहकारी शिक्षा कोष समिति
(पंजीयक, सहकारी समितियों का कार्यालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जुलाई, 2008

सं.फा.क.समि./सह./2008-2009/4391.—दिल्ली सहकारी समितियां नियम, 2007 के नियम 74 के अंतर्गत दिल्ली के उपराज्यपाल 'सहकारी शिक्षा कोष' के लिए निम्नलिखित को सलाहकार समिति का सहर्ष गठन करते हैं :—

1. पंजीयक सहकारी समितियां —सभापति
2. संयुक्त पंजीयक सहकारी समितियां —सदस्य
3. अध्यक्ष/महासचिव, दिल्ली राज्य सहकारी संघ लिमिटेड —सदस्य
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली राज्य सहकारी संघ लिमिटेड —सदस्य
5. प्रधानाचार्य, दिल्ली राज्य सहकारी शिक्षा केन्द्र लिमिटेड —सदस्य
6. अध्यक्ष/सचिव, दिल्ली सहकारी अर्बन बैंक संघ लिमिटेड —सदस्य
7. प्रबंधकीय निदेशक/महानिदेशक, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि. —सदस्य
8. सभापति/महाप्रबंधक, दिल्ली सहकारी आवासीय वित्तीय निगम —सदस्य
9. श्री रामानंद, अध्यक्ष, ग्रिंडले बैंक एम्पलॉयमेन्ट को.टी.सी. लि. —सदस्य
10. श्री विजय सिंह लोचव, पार्षद/ग्रामीण विकास कृषि शाखा सेवा सहकारी समिति, बमनोली —सदस्य
11. श्री सुनील गर्ग, अध्यक्ष, दीप शिखा को.टी.सी. समिति लि. —सदस्य
12. श्री पी.सी. गड़ोदिया, अध्यक्ष राजस्थान सी.जी.एच.एस. लि. —विशेष आमंत्रिती

इस समिति का कार्यकाल अवधि तीन वर्ष की होगी।

आदेश से,

यू. के. वोहरा, पंजीयक

COMMITTEE ON EDUCATION FUND
(OFFICE OF THE REGISTRAR, COOPERATIVE SOCIETIES)

NOTIFICATION

Delhi, the 16th July, 2008

F. No. CEF/Coop/Committee/2008-2009/4391.—The Lt. Governor, Delhi is pleased to constitute the

Cooperative Education Fund Advisory Committee Consisting of the following as per provisions contained in Rule 74 of the Delhi Coop. Societies Rules, 2007.

1. Registrar —Chairman
2. Joint Registrar —Member
3. President or General Secretary, Delhi State Cooperative Union —Member
4. Chief Executive Officer, Delhi State Cooperative Union —Member
5. Principal, Delhi State Coop. Training Centre —Member
6. President or Secretary Delhi Coop. Urban Bank Federation Ltd. —Member
7. Managing Director or General Manager, Delhi State Cooperative Bank Ltd. —Member
8. Chairman or General Manager of Delhi Coop. Housing Finance Corporation —Member
9. Sh. Rama Nand, President, Grindlays Banks Empl. Coop. Society —Member
10. Sh. Vijay Singh Lochav, MLA Representative Grammen Vikas Krishi Sakha Sewa Sehkari Samiti, Bamnoli. —Member
11. Sh. Sunil Garg, President, Deep Shikha Coop. Ur. T/C Society Ltd. —Member
12. Sh. Prem Chand Gododia, President, Rajasthan Coop. Group Housing Society Ltd. —Special Invitee

The terms of the committee shall be for a period of 3 years.

By Order,

U. K. WOHRA, Registrar

कृषि विपणन निदेशालय

(विकास विभाग)

आदेश

दिल्ली 16 जुलाई, 2008

सं. एफ 8/36/2004-डी.ए.एम./एम.आर./1396.—यद्यपि कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 23 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं एफ-8/36/2005-डी.ए.एम./एम.आर./1604 दिनांक 16-09-2005 द्वारा किसान हॉट, छत्तरपुर (अंधेरिया मोड़) को फल एवं सब्जियों के विपणन हेतु कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मण्डी) का उप-स्थल घोषित किया गया था । अब वही अधिसूचना सं. एफ-8/36/2005-डी.ए.एम./एम.आर./1604 दिनांक 16-09-2005 को निरस्त करते हुए किसान हॉट, छत्तरपुर (अंधेरिया मोड़) को फल एवं सब्जियों के विपणन हेतु कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मण्डी) के उप-स्थल से डीनोटिफाइड किया जाता है ।

आगे, छत्तरपुर किसान मंडी उपविधियाँ, 2004 जो कि कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 118 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी) आजादपुर द्वारा बनाया गया था, और दिल्ली कृषि विपणन परिषद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 118 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अनुमोदित की गई और निदेशक, कृषि विपणन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा, 118 की उप-धारा (7) के अंतर्गत पुष्टि की गई तथा जिनको सं. एफ-8/36/2004/डी.ए.एम./एम.आर./617 दिनांक 11-02-2005 के द्वारा अधिसूचित किया गया था, को भी डीनोटिफाइड किया जाता है ।

आदेश से,

डॉ. आर. डी. श्रीवास्तवा, निदेशक

DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING

(Development Department)

ORDER

Delhi, the 16 July, 2008

No.F. 8/36/2004-DAM/MR/1396.— In supersession of the previous Order No. F.8/36/2005-DAM/MR/1604 dt. 26-04-2005, the Kissan Haat, Chhattarpur (Andheria Mor), declared as sub-yard of Agricultural Produce Marketing Committee (Market of National Importance), Azadpur for marketing of Fruits and Vegetables under sub-section (2) of Section 23 of Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 is hereby de-notified.

Further, the Chhattarpur Farmers Market Bye-laws, 2004 as made by Agricultural Produce Marketing Committee (Market of National Importance), Azadpur under sub-section (1) of Section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, and as approved by the Delhi Agricultural Marketing Board under sub-section (2) of Section 118 of the said Act and as confirmed by the Director, Agricultural Marketing, Govt. of NCT of Delhi under sub-section (7) of Section 118 of the said Act, notified vide No. F. 8/36/2004/DAM/MR/617 dt. 11-02-2005 is also hereby de-notified.

By Order,

Dr. R. D. SRIVASTAVA, Director

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली 16 जुलाई, 2008

सं.फा. 30-3(28)/III/समन्वय/07/1036-53.— माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार

के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्कूलों के ऐसे प्रधानाचार्यों तथा उपप्रधानाचार्यों को संविदा आधार पर नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं जो 60 वर्ष के हो चुके हैं तथा शिक्षा सत्र वर्ष 2007-08 में सेवानिवृत्त हुए हैं । यह नियुक्ति एक वर्ष की होगी जिसे कार्य संपादन के आधार पर एक वर्ष आगे बढ़ाया जा सकता है। संविदा आधार पर यह नियुक्ति कार्य एवं चिकित्सा दुरूस्तगी एवं सतर्कता स्वीकृति की शर्त पर होगी तथा प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य को उन्हीं सहायता प्राप्त स्कूलों में संविदा रोजगार वहीं दिया जायेगा जहां शिक्षा निदेशालय को संबंधित स्कूल की प्रबंध समिति से ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ हो जिसमें उक्त संविदा रोजगार की सिफारिश करते हुए स्पष्ट रूप से अनुबंध नियुक्ति कर्मचारी के वेतन पर अतिरिक्त आनुपातिक व्यय के बारे में प्रबंधक वर्ग द्वारा व्यवस्था किए जाने की इच्छा व्यक्त की गई हो ।

उक्त नियुक्ति की शर्तें इस प्रकार होंगी :—

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा उपप्रधानाचार्य जिन्होंने 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा शैक्षणिक वर्ष 2007-08 के दौरान सेवानिवृत्त हो गए हैं, वे संविदा नियुक्ति के लिए विचारणीय होंगे। उक्त संविदा नियुक्ति, संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव को जारी करने के पश्चात् संबंधित पद का पुन: कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी । संविदा नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए उसके व्यक्तिगत कार्य निष्पादन के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित होगी ।

2. ऐसे प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों के संविदा आधार पर नियुक्ति उनके प्रोफेशन तथा चिकित्सा आरोग्य एवं सतर्कता क्लीयरेंस के अनुसार होगी । सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य तथा उपप्रधानाचार्य की शारीरिक फिटनेस के लिए "पंजीकृत चिकित्सा प्रेक्टिसनर" (आर एम पी) से प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा जो कि संबंधित विद्यालय की प्रबंध समिति को प्रस्तुत किया जाएगा । प्रोफेशनल फिटनेस भी प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित की जानी अपेक्षित होगी जो कि उनकी व्यक्तिगत कार्य एवं आचरण रिपोर्ट तथा सतकर्ता क्लीयरेंस तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर विचार करने के पश्चात् होगी ।

3. विद्यालय की प्रबंध समिति ऐसे संविदा आधार पर लगाए जाने वाले प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों के मामले की संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को स्पष्ट रिक्तियों के लिए संविदा आधार पर उक्त प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों के वेतन पर संबंधित अतिरिक्त अनुपातिक व्यय करने की इच्छा सहित अनुमोदन हेतु सिफारिश करेगी । शिक्षा निदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात् प्रबंध समिति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध प्रारूप में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों को संविदा नियुक्ति प्रस्ताव जारी करेगी ।

4. संविदा आधार पर नियुक्त ऐसे प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों का पारिश्रमिक ऐसे संविदा आधार पर नियुक्ति द्वारा लिए जा रहे उनकी सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त पारिश्रमिक पेंशन अथवा 20,000/-रुपये प्रतिमाह, इसमें जो भी कम हो पारिश्रमिक स्तर का होगा तथापि संविदा नियुक्ति पर दिया गया पारिश्रमिक दिनांक 13-2-1998 के भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन 16012/97-स्था. भत्ते के अनुसार प्रतिबंधित होगा, जिसमें यह निबंधित है कि उनके द्वारा लिया गया पारिश्रमिक अंतिम लिए गए वेतन-संविदा नियुक्ति द्वारा ली गई पेंशन अथवा 20,000/- रुपये प्रतिमाह इसमें जो भी कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए । आगे, ऐसी संविदा नियुक्ति पर दिया जा रहा पारिश्रमिक समय-समय पर इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से जारी एफआर/एसआर नियमों/अनुदेशों के अनुसार शासित होगा । उपरोक्त को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत है :-

मूल	15,375/- रुपये
डी.पी.	7,688/- रुपये
----	23,063/- रुपये सेवानिवृत्त के समय प्राप्त
पेंशन घटा कर	11,363/- रुपये

कुल	11,700/- रुपये
	-------

5. ऐसी संविदा नियुक्तियों पर व्यय का सरकारी भाग शीर्ष सहायता अनुदान निधि के अधीन विभाग में उपलब्ध निधियों से पूरा किया जाएगा ।

6. संविदा नियुक्ति वाले को समस्त प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान होंगी जिनमें एफआर दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम तथा नियमावली, 1973 के अधीन शक्तियाँ वित्तीय शक्तियाँ एवं वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) लिखने की शक्ति सम्मिलित है ।

7. वे संविदा नियुक्तियों में लगे हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू छुट्टियों के हकदार होंगे ।

8. प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य जो संविदा आधार पर नियुक्त किए गए हैं वे सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू समस्त उद्देश्यों के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 द्वारा शासित होंगे ।

9. संविदा नियुक्ति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कूल की प्रबंध समिति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक के अनुमोदन से कदाचार के आधार पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण, कार्य के निष्ठा के अभाव के कारण, लापरवाही एवं खराब कार्य निष्पादन इत्यादि के कारण, कारण बताओ सूचना के पश्चात् तथा उसके प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं ।

10. ऐसे मामलों में वह सीसीएस पेंशन नियमावली के नियम 8 के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा ।

11. उपरोक्त शर्तों पर संविदा नियुक्ति का यह प्रस्ताव नियमित नियुक्ति के लिए प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य के पद पर तथा किसी अन्य समकक्ष पद पर नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता ।

12. नियुक्ति परिशिष्ट-1 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में केवल उपरोक्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् ही की जाएगी ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

के. एस. मीणा, उप सचिव

परिशिष्ट–1

....विद्यालय

ज्ञापन

विषय : दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानाचार्य तथा उपप्रधानाचार्य के पद पर संविदा आधार पर नियुक्ति

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि..विद्यालय की प्रबंधन समिति के प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य के पद पर.. सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य को पूर्ण रूप से संविदा के आधार पर नियुक्त करते हैं । वह दिनांक 13–2–1998 के भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन 16012/97–स्थापना (भत्ते) के अनुसार तथा तत्समय लागू ऐसे भत्तों के अनुदान को शासित करने वाले नियमों तथा आदेशों में यथा–निर्धारित शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक के हकदार होंगे ।

नियुक्ति प्रस्ताव की शर्तें निम्नानुसार हैं :—

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा उपप्रधानाचार्य जिन्होंने 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा शैक्षणिक वर्ष 2007–2008 के दौरान सेवानिवृत्त हो गए हैं, वे संविदा नियुक्ति के लिए विचारणीय होंगे। उक्त संविदा नियुक्ति, संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव को जारी करने के पश्चात् संबंधित पद का पुन: कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी । संविदा नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए उसके व्यक्तिगत कार्य निष्पादन के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित होगी ।

2. ऐसे प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों के संविदा आधार पर नियुक्ति उनके प्रोफेशन तथा चिकित्सा आरोग्यता एवं सतकर्ता क्लीयरेंस के अनुसार होगी । सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य तथा उपप्रधानाचार्य की शारीरिक फिटनेस के लिए "पंजीकृत चिकित्सा प्रेक्टिसनर" (RMP) से प्रमाण-पत्र अपेक्षित होगा जो कि संबंधित विद्यालय की प्रबंध समिति को प्रस्तुत किया जाएगा । प्रोफेशनल फिटनेस भी प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित की जानी अपेक्षित होगी जो कि उनकी व्यक्तिगत कार्य एवं आचरण रिपोर्ट तथा सतकर्ता क्लीरेंस तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर विचार करने के पश्चात् होगी ।

3. विद्यालय की प्रबंध समिति ऐसे संविदा आधार पर लगाए जाने वाले प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों के मामले की संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को स्पष्ट रिक्तियों के लिए संविदा आधार पर उक्त प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों के वेतन पर संबंधित अतिरिक्त अनुपातिक व्यय करने की इच्छा सहित अनुमोदन हेतु सिफारिश करेगी । शिक्षा निदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात् प्रबंध समिति सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों/ उपप्रधानाचार्यों को संविदा नियुक्ति प्रस्ताव जारी करेगी ।

4. संविदा आधार पर नियुक्त ऐसे प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों का पारिश्रमिक ऐसे संविदा आधार पर नियुक्ति द्वारा लिए जा रहे उनकी सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त पारिश्रमिक पेंशन अथवा 20,000/– रुपये प्रतिमाह, इसमें जो भी कम हो पारिश्रमिक स्तर का होगा तथापि संविदा नियुक्ति पर दिया गया पारिश्रमिक दिनांक 13–2–1998 के भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन 16012/97–स्था. भत्ते के अनुसार प्रतिबंधित होगा, जिसमें यह निबंधित है कि उनके द्वारा लिया गया पारिश्रमिक अंतिम लिए गए वेतन-संविदा नियुक्ति द्वारा ली गई पेंशन अथवा 20,000/– रुपये प्रतिमाह इसमें जो भी कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए । आगे, ऐसी संविदा नियुक्ति पर दिया जा रहा पारिश्रमिक समय-समय पर इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से जारी एफआर/एसआर नियमों/अनुदेशों के अनुसार शासित होगा । उपरोक्त को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत है :–

मूल	15,375/– रुपये
डी.पी.	7,688/– रुपये
	23,063/– रुपये सेवा निवृत्त के समय प्राप्त
पेंशन घटा कर	11,363/– रुपये
कुल	11,700/– रुपये

5. ऐसी संविदा नियुक्तियों पर व्यय का सरकारी भाग शीर्ष सहायता अनुदान निधि के अधीन विभाग में उपलब्ध निधियों से पूरा किया जाएगा ।

6. संविदा नियुक्ति वाले को समस्त प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान होगी जिनमें एफआर दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम तथा नियमावली, 1973 के अधीन शक्तियाँ वित्तीय शक्तियाँ एवं वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) लिखने की शक्ति सम्मिलित है ।

7. वे संविदा नियुक्तियों में लगे हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू छुट्टियों के हकदार होंगे ।

8. प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य जो संविदा आधार पर नियुक्त किए गए हैं वे सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू समस्त उद्देश्यों के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 द्वारा शासित होंगे ।

9. संविदा नियुक्ति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कूल की प्रबंध समिति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक के अनुमोदन से कदाचार के आधार पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण, कार्य के निष्ठा के अभाव के कारण, लापरवाही एवं खराब कार्य निष्पादन इत्यादि के कारण, कारण बताओ सूचना के पश्चात् तथा उसके प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् किसी भी समय समाप्त की जा सकती है ।

10. ऐसे मामलों में वह सीसीएस पेंशन नियमावली के नियम 8 के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा ।

11. उपरोक्त शर्तों पर संविदा नियुक्ति का यह प्रस्ताव नियमित नियुक्ति के लिए प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य के पद पर तथा किसी अन्य समकक्ष पद पर नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता ।

12. नियुक्ति परिशिष्ट–1 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में केवल उपरोक्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् ही की जाएगी ।

यदि.......................................शर्तों पर संविदिक नियुक्ति के लिए सहमत है तथा उसे स्वीकार करता है तो उसे..को इस पत्र के जारी होने के 10 दिनों की अवधि के अन्दर सूचित करना चाहिए, ऐसा न करने पर नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द समझा जाएगा ।

प्रबंधक

....स्कूल

श्री/श्रीमती..

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य

प्रतिलिपि निम्न को :–

1. नि. स. सचिव, शिक्षा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
2. नि. स. निदेशक, शिक्षा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, शिक्षा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
4. उप निदेशक (...जिला) ।
5. गार्ड फाईल ।

प्रबंधक

....................................स्कूल

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 16th July, 2008

No. F. 30-3(28)/III/Coord/07/1036 to1053.—The Hon'ble Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to allow the appointment on contract basis of those Principals and Vice-Principals in Aided schools under the Directorate of Education, Government of Delhi who have attained the age of 60 years and have retired during the academic year 2007-08, for a period of one year and extendable for another one year based on performance. Such appointment on contract basis shall be subject to Professional & Medical Fitness and Vigilance Clearance and further subject to the condition that such contract employment to Principals/ Vice - Principals in aided schools will be provided wherever there is a request received in the Directorate of Education from the Managing Committee of the concerned school recommending such contract employment and clearly indicating the willingness of the management to make respective additional proportionate expenditure on the salary of the contract appointed employee.

The terms and conditions of such appointment shall be as follows:

2691 DG/08—2

1. The Principals and Vice-Principals of aided schools of Directorate of Education GNCT of Delhi, who have attained the age of 60 years and have retired during the Academic Year 2007-08, shall be eligible for consideration for Contract Appointment. The said Contract Appointment will be effective from the date of re-assumption of work of the respective post, after issuance of offer of Contract Appointment. The contract appointment will be for a period of one year extendable for another one year based on the performance of the individual concerned for a maximum period of two years.

2. Engagement on contract basis of such Principals/ Vice-principals will be subject to Professional & Medical Fitness and Vigilance Clearance. For Physical Fitness of retiring Principal and Vice Principal, a certificate from 'Registered Medical Practitioner' is required to be submitted to the Managing Committee of the concerned school. The Professional Fitness is also required to be assessed by the Managing Committee by considering Work & Conduct Report and Vigilance Clearance and Medical Certificate in respect of the individual concerned.

3. The Managing Committee of the School shall recommend the cases of such Vice-Principals/ Principals to be engaged on contract basis against clear vacancies to the Regional Director concerned for approval along with willingness to make respective additional proportionate expenditure on the salary of said Principals/Vice-Principals. After approval of the proposal of by the concerned R D Office of the Directorate of Education, the Managing Committee shall issue contract appointment offer to the superannuated Vice-Principals/Principals in the format placed at Annexure-1

4. Remuneration of such Vice- Principals/ Principal appointed on contract basis will be at the level of emoluments being drawn by these Contract Appointees at the time of their retirement Minnus pension Rs. 20,000/- per month, whichever is less. However, the emoluments paid on contract appointment shall be restricted in accordance with GOI, DOPT OM 16012/97-Estt. (Allowances) dated 13-2-1998 which stipulates that emoluments drawn by them should not exceed either the last pay drawn minus pension by the contract Appointee or Rs. 20,000/- per month whichever is less. Further emoluments being paid to these Contract Appointees will be governed as per FR/ SR rules instructions issued from Government of NCT of Delhi in this regard from time to time. To simplify the above said, an example is as follows:

BASIC PAY:		Rs. 15,375/-
D. P.	:	Rs. 7,688/-
		Rs. 23,063/- Drawn at the time of retirement.
Less Pension	:	Rs. 11,363/-
Total		Rs. 11,700/-

5. The Govt.'s share of the expenditure on such contract appointments will be met from the funds available to the Department under Head-GIA Fund.

6. The Contract Appointees are empowered to exercise all administrative powers including that of powers under FRs, Delhi School Education Acts & Rules, 1973, Financial powers and ACRs writing powers.

7. They will also be entitled to leave as admissible to Central Government servants engaged on Contract Appointments.

8. The Principals/Vice- Principals who are appointed on contract basis will be governed by Delhi School Educational Act, 1973 for all purposes as applicable to Aided Schools.

9. The Contract Appointment may be terminated at any time by the Competent Authority i.e. the Managing Committee with the approval of the concerned Regional Director of Education, GNCT of Delhi through a speaking order on ground of misconduct, financial irregularity, dereliction of duty, negligence and poor performance etc. after giving a Show Cause Notice and duly considering the representation of the individual.

10. In such cases the individual shall be liable to be proceeded under Rule 8 of CCS Pension Rules.

11. The offer of Contract Appointment on the above terms and conditions shall not confer any right whatsoever to claim for regular appointment either to the post of Principal/Vice-Principal or any other equivalent post.

12. The appointment shall be given only after completion of the above formalities in the prescribed format placed as Annexure-1.

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

K. S. MEENA, Dy. Secy.

Annexure-1

——————————School

MEMORANDUM

Sub.: Offer of appointment on contract basis to the post of Principal and Vice-Principal in Aided Schools of Delhi.

The undersinged is directed to state that Managing Committee of —————— school is pleased to offer an appointment to retired Principal/Vice- Principal to the post of Principal/Vice-Princial purely on contract basis. He/She will be entitled for emoluments in accordance with GOI, DOPT OM 16012/97-Estt. (Allowances) dated 13-2-1998 and also subject to the conditions as laid down in rules and orders governing the grant of such allowances in force from time to time.

The terms and conditions of offer of appointment are as follows:

1. The Principals and Vice-Principals of Aided schools of Directorate of Education, GNCT of Delhi, who have attained the age of 60 years and have retired during the Academic Year 2007-08, shall be eligible for consideration for Contract Appointment. The said Contract Appointment will be effective from the date of reassumption of work of the respective post, after issuance of offer of Contract Appointment. The Contract Appointment will be for a period of one year extendable for another one year based on the performance of the individual concerned for a maximum period of two years.

2. Engagement on contract basis of such Principals/ Vice Principals will be subject to Professional & Medical Fitness and Vigilance Clearnace. For Physical Fitness of retiring Principal and Vice Principal, a certificate from "Registered Medical Practitioner"is required to be submitted to the Manging Committee of the concerned school. The Professional Fitness is also required to be assessed by the Managing Committee by cosidering Work &Conduct Report and Vigilance Clearance and Medical Certificate in respect of the individual concerned.

3. The Managing Committee of the school shall recommend the cases of such Vice Principal/Principals to be engaged on contract basis against clear vacancies to the Regional Director concerned for approval along with willingness to make respective additional proportionate expenditure on the salary of said Principals/Vice Principals. After approval of the proposal by the concerned R D Office of the Directorate of Education, the Managing Committeee shall issue Contract Appointment offer to the superannuated Vice Principals/Principals.

4. Remuneration of such Vice Prncipals/Principals appointed on contarct basis will be at the level of emoluments being drawn by these Contract Appointees at the time of their retirement minus pension or Rs. 20,000/- per month, whichever is less. However, the emoluments paid on Contract Appointment shall be restricted in accordance with GOI, DOPT OM 16012/97-Estt.(Allownaces) dated 13-2-1998 which stipulates that emoluments drawn by them should not excceed either the last pay drawn minus pension by the contract appointee or Rs. 20,000/- per month whichever is less. Further emoluments being paid to these Contract Appointees will be governed as per FR/SR rules/ instructions issued from Govt. of NCT of Delhi in this regard from time to time. To simplify the above said, an example is as follows:

BASIC PAY:		Rs.15,375/-
D.P.	:	Rs. 7,688/-
		Rs.23,063/- Drawn at the time of retirement.
Less Pension	:	Rs.11,363/-
Total		Rs.11,700/-

5. The Govt.'s share of the expenditure on such contract appointments will be met from the funds available to the Department under Head-GIA Fund.

6. The Contract Appointees are empowered to exercise all administrative powers including that of powers under FRs, Delhi School Education Act and Rules, 1973, Financial Powers and ACR writing powers.

7. They will also be entitled to leave as admissible to Central Government Servants engaged on contract appointments.

8. The Principals/Vice Principals who are appointed on contract basis will be governed by Delhi School Educational Act, 1973 for all purposes as applicable to Aided Schools.

9. The contract appointment may be terminated at any time by the Competent Authority i.e. the Managing Committee of the school with the approval of the concerned Regional Director of Education, on GNCT of Delhi through a speaking order on ground of misconduct. financial irregularity, dereliction of duty, negligence and poor performance etc. after giving a Show Cause Notice and duly considering the representation of the individual.

10. In such cases the individual shall be liable to be proceeded under Rule 8 of CCS Pension Rules.

11. This offer of contract appointment on the above terms and conditions shall not confer any right whatsoever to claim for rugular appointment either to the post of Principal/Vice Principal or any other equivalent post.

12. The appointment shall be given only after completion of the above formalities.

If,———————— agrees to and accepts the contractual appointment on the terms and conditions, he/she should report to the————— within a period of 10 days of issue of this letter, failing which the offer of appointment will be treated as cancelled.

MANAGER

————School

Sh./Smt.————————

Rtd. Principal/Vice Principal.

Copy to:-

1. PS to Secretary, Education, Old Secretariat, Delhi.
2. PS to Director, Education, Old Sectt., Delhi.
3. The Regional Director,————————
4. Dy. Director (————Distt.)
5. Guard file.

MANAGER

————School

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

To be published in the Delhi Gazette, Part -IV (Ordinary)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTOR OF EDUCATION, OLD SECTT., DELHI
(GAZETTED OFFICER'S CELL)

No.F.26(31)/06/Edn./GOC/ 3806-15 **Dated:-** 24/06/9

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub section (I) of section 11 of the Delhi School Education Act., 1973 (18 of 1973), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Talwant Singh, an officer of Delhi Higher Judicial Service, as Presiding Officer of the Delhi School tribunal, for further **one year w.e.f. 22/05/2009.**

By order and in the name of the
Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi

Archna Arora

(ARCHNA ARORA)
PR. SECRETARY (EDUCATION)

No.F.26(31)/06/Edn./GOC/ 3806-15 Dated:- 24/6/9

Copy forwarded for information & necessary action to :-

1) The Registrar General, Delhi High Court, Delhi.
2) The Office Incharge, General Administration Department, Delhi Sectt., New Delhi (in duplicate) with the request that this may be published in Delhi Gazette (Ordinary). Hindi Version of the notification is also enclosed.
3) The Jt. Secretary to the govt. of India, Ministry of HRD, Department of Education, New Delhi.
4) The Jt. Secretary to Govt. of India, Ministry of Law, New Delhi.
5) The Chief Secretary, NCT of Delhi, Delhi Sectt. New Delhi.
6) The Secretary to the Lt. Governor, GNCT of Delhi.
7) The Secretary (Law, Justice & Legislative Affairs), GNCT of Delhi.
8) Shri Talwant Singh (Delhi Higher Judicial Service) through the Joint Registrar (Gaz.), Delhi High Court.
9) The Director of education, Dte. of Education, GNCT of Delhi.
10) PS. To Secretary (Edn.), GNCT of Delhi.
11) Reader to Delhi School Tribunal, Delhi Sectt., New Delhi.

Archna Arora

(ARCHNA ARORA)
PR. SECRETARY (EDUCATION)

दिल्ली राजपत्र (सामान्य) के भाग -4 में प्रकाशनार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय
पुराना सचिवालय दिल्ली-110054
(राजपत्र शाखा)

फाइल सं0 26 (31)/06/ शिक्षा / जी0ओ0सी0/ 3806-15 दिनांक 24/6/9

अधिसूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक दिल्ली विद्यालय अधिनियम 1973 (1973 के 18) धारा 11 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री तलवंत सिंह, अधिकारी, दिल्ली उच्चन्यायिक सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिनांक 22/05/09 से अगले एक वर्ष के लिए दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक
के आदेश तथा उनके नाम पर
अर्चना अरोड़ा
(अर्चना अरोड़ा)
प्रधान सचिव (शिक्षा)

फाइल सं0 26 (31)/06/ शिक्षा / जी0ओ0सी0/ 3806-15 दिनांक 24/6/9

प्रतिलिपि :-

1. महापंजीयक, दिल्ली उच्चन्यायालय , नयी दिल्ली ।
2. कार्यालय अधिकारी (सामान्य प्रशासन विभाग) दिल्ली सचिवालय ,नई दिल्ली (दो प्रतियां) दिल्ली राजपत्र (सामान्य) के भाग -4 में प्रकाशनार्थ ।
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली ।
4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार विधि मंत्रालय नई दिल्ली ।
5. मुख्य सचिव, रा0 रा0 क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली ।
6. सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली ।
7. सचिव, विधि न्याय तथा विधायी, रा0 रा0 क्षेत्र दिल्ली ।
8. श्री तलवंत सिंह, अधिकारी, दिल्ली उच्चन्यायिक सेवाएं, संयुक्त पंजीकाय (गज0) के द्वारा, दिल्ली उच्चन्यायालय, दिल्ली
9. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय रा0 रा0 क्षेत्र, दिल्ली सरकार,, दिल्ली।
10. निजी सचिव , सचिव (शिक्षा)रा0 रा0 क्षेत्र, दिल्ली सरकार,, दिल्ली ।

रीडर, दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।

अर्चना अरोड़ा
(अर्चना अरोड़ा)
प्रधान सचिव (शिक्षा)

1. Extra-ordinary notifications ... India Press on the same day.

7/7/09

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2009/कार्तिक 27, 1931 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 233
No. 181] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2009/KARTIKA 27, 1931 [N.C.T.D. No. 233

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय
अधिसूचना
दिल्ली, 18 नवम्बर, 2009

सं. फा. डी. ई. 01(05)/15/रीडर/स्था.-I/08/18540.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59-एचआईएम(आई) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 11 के अधीन गठित दिल्ली स्कूल न्यायाधिकरण में रीडर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के दिल्ली स्कूल न्यायाधिकरण में रीडर के पद भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीडर	*01 (2008) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या के. सि. सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी : (क)(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले ; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 3200-4900 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित; अथवा (iii) मूल संवर्ग/विभाग में 3050-4590 रु. या समकक्ष के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा सहित; तथा (ख) किसी पीठासीन न्यायालय/अपीलीय न्यायालयों/न्यायाधिकरण में रीडर अथवा अहलमद के रूप में कार्य अनुभव । **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
(13)	(14)
लागू नहीं	लागू नहीं ।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

जी. एल. मीणा, अतिरिक्त सचिव

EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2009

No. F. D.E. 1(5)/15/RR/Reader/E-I/08/18540.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F. 27/59-Him (i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the rules in the schedule annexed thereto regarding the method of recruitment and qualifications, necessary for appointment to the post of Reader in the Delhi School Tribunal, constituted under Section 11 of the Delhi School Education Act, 1973 in the Department of Education, Government of the National Capital Territory of Delhi.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Reader in the Delhi School Tribunal in the Department of Education, Government of N.C.T. of Delhi

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Reader	01*(2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
(7)	(8)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(9)	(10)
Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
By deputation	**Deputation :** Officers of the Central Government/State Government/Union Territories : (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 3200—4900 or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) With 8 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 3050—4590 or equivalent in the parent cadre/department; and

94/c

(12)
(b) Working experience as Reader or Ahlmed in any Presiding Court/Appellate Courts/Tribunal. Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government/State Governments/Union Territories shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on closing date of receipt of applications.

If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Not applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

G. L. MEENA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2231/c

To be published in the Delhi Gazette, Part-IV (Ordinary)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION, OLD SECTT., DELHI
(GAZETTED OFFICER'S CELL)

F.No.26(31)/06/Edn/GOC/ 4019-28 Dated: 28-5-2010

ORDER

The Lt. Governor, Delhi, is pleased to order the repatriation of Shri Talwant Singh, Presiding Officer, Delhi School Tribunal, to his parent Department, Delhi Higher Judicial Service w.e.f. 21/05/2010 (AN).

By order and in the name of the
Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi

28/05/2010
(SURESH GUPTA)
ADDL. SECRETARY(EDUCATION)

F. No.26(31)/GOC/EDN/2010/ 4019-28 Dated: 28/5/10

Copy for information and necessary action to:

1. The Registrar General, Delhi High Court, Delhi.
2. The Office Incharge, General Administration Department, Delhi Sectt., New Delhi(In duplicate) with othe request that this may be published in Delhi Gazette (Ordinary).
3. The Jt. Secretary to the Govt. of India, Ministry of HRD, Deptt. Of Education, New Delhi.
4. The jt. Secretary to Govt. of India, Ministary of Law, New Delhi.
5. The Chief Secretary, GNCT of Delhi, Delhi Sectt., Delhi.
6. The Secretary to Lt. Governor, Delhi
7. The Secretary (Law, Justice & legislative Affairs), GNCT of Delhi
8. Shri N.P.Kaushik(Delhi Higher Judicial Service) through the Joint Registrar (Gaz), Delhi High Court.
9. The Director of Education, Dte. Of Education, GNCT of Delhi.
10. Accounts Officer (Cash/DDO(HQ), Dte. Of Education, Old Sectt., Delhi.
11. P.S. to Pr. Secretary(Education), GNCT of Delhi
12. Reader to Delhi School Tribunal, Delhi Sectt., New Delhi

28/05/2010
(SURESH GUPTA)
ADDL. SECRETARY(EDUCATION)

2226

दिल्ली राजपत्र (सामान्य) के भाग – 4 में प्रकाशनार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय
पुराना सचिवालय दिल्ली -110054

मिसिल सं० 26(31)/06/शिक्षा/जी०ओ०सी०/4028-A दिनांक 28/5/10

आदेश

माननीय उप–राज्यपाल दिल्ली ने श्री तलवंत सिंह, पीठासीन अधिकारी, दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल, को उनके पैत्रिक विभाग, दिल्ली उच्चन्यायिक सेवा में 21/05/2010 (A/N) से वापस भेजने का आदेश किया है !

उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,
के आदेश तथा उनके नाम पर

(सुरेश गुप्ता) 26/5
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

मिसिल सं० 26(31)/06/शिक्षा/जी०ओ०सी०/4028-A दिनांक 28/5/10
प्रतिलिपि:-

1. महापंजीयक,दिल्ली उच्चन्यायालय, नई दिल्ली !
2. कार्यालय अधिकारी (सामान्य प्रशासन विभाग) दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली !
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली (दो प्रतियां)
4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार विधि मंत्रालय नई दिल्ली !
5. मुख्य सचिव, रा० रा० क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली !
6. सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली !
7. सचिव, विधि न्याय तथा विधायी, रा० रा० क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली !
8. श्री एन० पी० कौशिक, अधिकारी, दिल्ली उच्चन्यायिक सेवाएं, संयुक्त पंजीयक (गजा०) के द्वारा, दिल्ली उच्चन्यायालय, दिल्ली !
9. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय रा० रा० क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली !
10. लेखा अधिकारी (रोकड), शिक्षा निदेशालय रा० रा० क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली !
11. निजि सचिव, सचिव (शिक्षा), रा० रा० क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली !
12. रीडर, दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली !

26/5/10
(सुरेश गुप्ता)
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

219/c

(17)

To be published in the Delhi Gazette, Part-IV (Ordinary)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION: OLD SECRETARIAT: DELHI
(GAZETTED OFFICER CELL)
http://edudel.nic.in

F. No.26(31)/GOC/EDN/2010/4029-38 Dated: 28/5/10

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub section (I) of section 11 of the Delhi School Education Act., 1973 (18 of 1973), the Lt. Governor of the Nation Capital territory of Delhi is pleased to appoint Shri N.P.Kaushik, an officer of the Delhi Higher Judicial Service, as Presiding Officer of the Delhi School Tribunal, for one year w.e.f. the date of joining duties

By order and in the name of the
Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi

(SURESH GUPTA) 28.5.10
ADDL. SECRETARY(EDUCATION)

F. No.26(31)/GOC/EDN/2010/4029-38 Dated: 28/5/10

Copy for information and necessary action to:

1. The Registrar General, Delhi High Court, Delhi.
2. The Office Incharge, General Administration Department, Delhi Sectt., New Delhi(In duplicate) with othe request that this may be published in Delhi Gazette (Ordinary).
3. The Jt. Secretary to the Govt. of India, Ministry of HRD, Deptt. Of Education, New Delhi.
4. The Jt. Secretary to Govt. of India, Ministary of Law, New Delhi.
5. The Chief Secretary, GNCT of Delhi, Delhi Sectt., Delhi.
6. The Secretary to Lt. Governor, Delhi
7. The Secretary (Law, Justice & legislative Affairs), GNCT of Delhi
8. Shri N.P.Kaushik(Delhi Higher Judicial Service) through the Joint Registrar (Gaz), Delhi High Court.
9. The Director of Education, Dte. Of Education, GNCT of Delhi.
10. Accounts Officer(Cash/DDO), Dte. Of Education, GNCT of Delhi.
11. P.S. to Pr. Secretary(Education), GNCT of Delhi
12. Reader to Delhi School Tribunal, Delhi Sectt., New Delhi

(SURESH GUPTA)
ADDL. SECRETARY(EDUCATION)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] दिल्ली, बुधवार, जून 16, 2010/ज्येष्ठ 26, 1932 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 67
No. 94] DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2010/JYAISTHA 26, 1932 [N.C.T.D. No. 67

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जून, 2010

सं. फा. अति. शि. नि. (स्कूल) 609-623.—जबकि, शिक्षा निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में 932 राजकीय विद्यालय हैं जिनमें 19 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय शामिल हैं।

और जबकि, वर्ष 1997 में यह महसूस किया गया कि सरकारी विद्यालयों में ऐसे अनेक विद्यार्थी होते हैं यदि उनको उचित वातावरण प्रदान किया जाये तो उनमें उत्कृष्ट प्रतिभा की संभावना होती है। यह भी महसूस किया गया कि अनेक कमजोर आर्थिक वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के पास प्रतिभा होती है परन्तु वे पब्लिक स्कूलों का खर्च वहन नहीं कर सकते। यह प्रस्ताव किया गया था कि उनकी प्रतिभा को सामने लाया जाये और उनकी उच्च शैक्षिक उत्कृष्टता की आवश्यकताओं के अनुसार विद्यालय उपलब्ध करवाये जायें। तदनुसार प्रस्ताव किया गया था कि विशेष वर्ग के ऐसे राजकीय विद्यालय स्थापित करने की अनुमति दी जाये जहां अध्ययन अध्यापन की बेहतर परिस्थितियाँ और बेहतर मौलिक सुविधाएं हों जिसकी अनुमति सरकार ने प्रदान की और इस प्रकार राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय अस्तित्व में आये।

और जबकि, बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 को 1-4-2010 से लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया था। अधिनियम में 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों या उन ऐसे अन्य स्कूलों को समान है जिनका अपना विशिष्ट स्वरूप है और इसे उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (पी) के अन्तर्गत समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है।

और जबकि, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका/छावनी बोर्ड के पढ़ने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों को उनकी उच्च प्रतिभा की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रवेश दिया जाता है। इनका चयन कक्षा-VI तथा उसके पश्चात् कक्षा-IX तथा कक्षा-XI के प्रवेश स्तर पर एक परीक्षा के द्वारा होता है जिसकी शर्त यह है कि संबंधित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में सीट उपलब्ध हो।

और जबकि, उपरोक्त उद्देश्यों एवं मिशन के अनुसार राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों का अपना विशिष्ट स्वरूप होता है;

इसलिए अब, बाल नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खंड (पी) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों को केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों जैसे विद्यालयों की तरह विनिर्दिष्ट वर्ग विद्यालय घोषित करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 16th June, 2010

No. F. Addl. DE (Sch.) 609-623.—Whereas there are 932 Government Schools in Jurisdiction of Directorate of Education which include 19 Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas.

And whereas, in the year, 1997 it was realized that in Government Schools, there are many students who have potential to excel, given right environment. It was also realized that such students from low economic strata but having potential cannot afford to attend public schools. It was proposed to shape their excellence and provide a platform to cater to their higher needs of academic excellence. Accordingly, it was proposed to allow to establish pace setting Government Schools of special category having distinct character to provide better conditions of teaching learning environment and better infrastructure and the same, was approved by Government and thus, Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas came into existence.

And whereas, the right of children to free and compulsory education act, 2009 has been notified to take effect from 1-4-2010. The provisions of the Act are to provide for free and compulsory education to all children of the age of 6-14 years. The Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas, are the schools like Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, Sainik Schools or any other school having a distinct character which may be specified by notification by the appropriate Government under clause (p) of Section 2 of the aforesaid Act.

And whereas, students in Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas are admitted from amongst those studying in Government/Government Aided/MCD/NDMC/Cantonment Board schools, in order to cater to the needs of their higher potential. They are selected from the such students, after a test at the entry level of Class-VI and thereafter to Class-IX and XI subject to the condition of availability of seats in the respective Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas.

And whereas, the Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas, have a distinct character, in terms of the objectives and mission stated above.

Now, therefore, in pursuance of clause (p) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Lt. Governor, NCT of Delhi is pleased to declare Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas as Specified Category Schools like Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, Sainik Schools.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
SURESH GUPTA, Addl. Secy. (Education)

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 16 जून, 2010

सं. फा. 6/17/2008-न्यायिक/एसयूपीटी लॉ/644-645.—दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से अनुसूचित जाति श्रेणी के प्रत्याशी श्री निर्भय प्रकाश, जिनका नाम इस विभाग के दिनांक 3-7-2009 की अधिसूचना संख्या 6/17/2008-न्यायिक/एसयूपीटी लॉ/ 1202-1207 में क्रम संख्या 12 पर उल्लिखित था, की नियुक्ति को, पर्याप्त समय दिये जाने के बाद उनके दिल्ली न्यायिक सेवा में कार्यभार संभालने में असफल रहने पर निरस्त करते हैं ।

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATIONS

Delhi, the 16th June, 2010

No. F. 6/17/2008-Judl./Suptlaw/644-645.— The Lt. Governor, Delhi, in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to cancel the appointment of Mr. Nirbhay Prakash, SC Category candidate on account of his failure to join the Delhi Judicial Services, in spite of sufficient time being given, whose name appears at S.No.12 of this Department's Notification No. F. 6/17/2008-Judl./Suptlaw/1202-1207 dated 3-7-2009.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 4, 2010/कार्तिक 13, 1932 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 189

No. 171] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4, 2010/KARTIKA 13, 1932 [N.C.T.D. No. 189

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 4 नवम्बर, 2010

सं. फा. 40(20)/90/आईईडीसी/306/373.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59-एचआईएम (आई) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सरकार की दिनांक 28 जून, 1960 की अधिसूचना सं. फा. 26(49)/59/आर व एस का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "विशेष शिक्षा अध्यापक" के पद की भर्ती की पद्धति एवं योग्यताओं के संबंध में इसके द्वारा नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.**—(क) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय विशेष शिक्षा अध्यापक (क) शारीरिक रूप से विकलांग, (ख) वाणी बाध्यता, (ग) मानसिक रूप से मंदबुद्धि, (घ) अशत: दृष्टिहीन ('ख' वर्ग) की भर्ती नियमावली, 2010 कहा जा सकेगा ।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, वर्गीकरण इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

4. **योग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति,—

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नि के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नि के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है, और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे ।

6. बचाव.—इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने के लिए आरक्षण अपेक्षित आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	क्या के.सि.से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
विशेष शिक्षा अध्यापक (क) शारीरिक रूप से विकलांग, (ख) वाणी बाध्यता, (ग) मानसिक रूप से मंदबुद्धि, व (घ) अंशत: दृष्टिहीन ।	933*(2010) (नौ सौ तैंतीस) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अलिपिकीय	9300-34800 (पे बैंड-2) ग्रेड वेतन 4600 रुपये	लागू नहीं	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय ।) टिप्पण : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख, सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब-डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है
8	9	10	11	12
अनिवार्य : बी. एड. (विशेष शिक्षा) सहित स्नातक या विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा सहित बी. एड. अथवा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा अथवा भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष योग्यता	लागू नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

8
टिप्पण : एकल अपंगता/निःशक्तता क्षेत्र में योग्यता वाला अध्यापक को अन्य अपंगता क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करने के के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ऐसा किसी सामान्य विद्यालय को नाना प्रकार की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए मॉडलर पाठ्यक्रमों को करवा कर किया जाएगा ।
टिप्पण : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर लिखित में अभिलेखबद्ध कारणों के आधार पर शिथिलनीय है ।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?		वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
13		14
"ख" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार हेतु)		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं ।
1. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा)	—अध्यक्ष	
2. निदेशक शिक्षा	—सदस्य	
3. अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव (शिक्षा)	—सदस्य	
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी, जो दिल्ली सरकार में उप-सचिव की रैंक से कम न हो	—सदस्य	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 4th November, 2010

F. DE 40(20)/09/IEDC/306/373.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him (i), dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's Notification No. F. 26(49)/59-R & S, dated the 28th June, 1960, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Special Education Teacher in the Directorate of Education, Government of NCT of Delhi, namely :—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Directorate of Education, Special Education Teacher for (a) Physically Handicapped, (b) Speech Impaired, (c) Mentally Retarded, and (d) Partially Sighted Group 'B' Post Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay. —The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect in any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government form time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of Services Admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Special Education Teacher for : A. Physically Handicapped, B. Speech Impaired, C. Mentally Retarded, and D. Partially Sighted.	933*2010 (Nine Hundred Thirty Three) *Subject to variation dependent on workload.	CCS Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 9300-34,800 (PB-2) Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	No

Age-limit	Educational & other Qualification required for direct recruits	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by Central Government of of India from time to time.) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Aru-	**Essential :** Graduate with B.Ed. (Special Education) or B. Ed. with a two years diploma in special education or post-graduate professional diploma in special education. OR Any other equivalent qualification approved by rehabilitation council of India. Note : Teacher with qualification in single disability area will be encouraged to	N.A.	2 years	100% Direct recruitment.

	8	
nachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladhakh Division of J & K State, Lahul and Spiti Districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh & Andaman and Nicobar Island) and Lakshadweep).	specialise in other disability areas by undergoing modular courses to take care of wide range of diversities in a General School. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.	

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	13	14
N.A.	**Group 'B' DPC (for considering confirmation) :** 1. Principal Secretary/Secretary (Education) —Chairman 2. Director of Education —Member 3. Additional Director/Additional Secretary/Joint Secretary (Education) —Member 4. An officer of SC/ST Community not below the rank of Deputy Secretary in Government of NCT of Delhi —Member	Consultation with UPSC not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SURESH GUPTA, Addl. Secy.

4312 DG/10-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 2010/अग्रहायण 9, 1932 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 209
No. 184] DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 2010/AGRAHAYANA 9, 1932 [N.C.T.D. No. 209

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 30 नवम्बर 2010

सं. फा. डी.ई. 4(6)(210)/ई-IV/2003/[illegible] सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 तथा इस सरकार की दिनांक 28 जून, 1960 की अधिसूचना सं. फा. 26(49)/59/आर एण्ड एस का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद की भर्ती की पद्धति विनियमित करने संबंधी निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.**—(क) इन नियमों को सहायक अध्यापक (प्राथमिक) शिक्षा निदेशालय भर्ती नियमावली, 2010 कहा जाएगा ।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं आदि.**—उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

4. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति,—

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है, और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

6. बचाव.—इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने के लिए आरक्षण अपेक्षित आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद के भर्ती नियम :—

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	क्या के.सि.से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
सहायक अध्यापक (प्राथमिक)	4016*(2010) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	श्रेणी 'ख' सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय	पे बैंड-2 9300-34800 रुपये ग्रेड पे 4200	लागू नहीं	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं टीप-1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीप-2 : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो लेकिन यह असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब-डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है
8	9	10	11	12
अनिवार्य : 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी (10+2) या इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्राथमिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम/ कनिष्ठ मूलभूत प्रशिक्षण में 2 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टीफिकेट कोर्स या प्राथमिक शिक्षा में स्नातक या समकक्ष 3. माध्यमिक सत्र पर एक विषय के रूप में हिन्दी अवश्य उत्तीर्ण की हो । टीप :—प्रत्याशी के अन्यथा सुयोग्य होने पर सक्षम प्राधिकारी के विवेक के आधार पर अभिलेखबद्ध लिखित कारणों से योग्यता शिथिलनीय है ।	लागू नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
13	14
"ख" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) : 1. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा), दिल्ली सरकार —अध्यक्ष 2. निदेशक (शिक्षा), दिल्ली सरकार —सदस्य 3. अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव (शिक्षा), दिल्ली सरकार —सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित कोई अधिकारी जो दिल्ली सरकार में उप-सचिव के रैंक से कम न हो । —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 30th November, 2010

F. D. E. 4(6)(210)/E. IV/2003/412.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 27/59-Him (I) dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's Notification No. F.26(49)/59-R & S dated the 28th June, 1960, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Teacher (Primary) in the Directorate of Education, Government of NCT of Delhi, namely :—

1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Directorate of Education, Assistant Teacher (Primary) Recruitment Rules, 2010

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay. —The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Assistant Teacher (Primary) in Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of services admissible
1	2	3	4	5	6
Assistant Teacher (Primary)	4016*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	(PB-2) Rs. 9300-34,800 (Grade Pay Rs. 4200)	N. A.	N. A.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not exceeding 30 years Note 1 : (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government. Note 2 :The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	Essential : 1. Senior Secondary (10+2) or Intermediate or its equivalent from a Recognized Board. 2. Two years diploma or certificate course in elementary Teachers Education Course/ Junior Basic Traning or Bachelor of Elementary Education or equivalent from a recognized Institution. 3. Must have passed Hindi as a subject at Secondary Level.	N.A.	2 Years

7	8
(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladhakh Division of J & K State, Lahul and Spiti Districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh & Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
100% Direct Recruitment	N.A.

If a DPC exists, what is its composition		Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
13		14
Group 'B' DPC (For considering confirmation)		Consultation with UPSC not necessary.
1. Principal Secretary/Secretary (Education), Government of NCT of Delhi	—Chairman	
2. Director (Education), Government of NCT of Delhi	—Member	
3. Additional Director/Additional Secretary/ Joint Secretary (Education), Government of NCT of Delhi	—Member	
4. An Officer belonging to SC/ST Community not below the rank of Deputy Secretary in Government of NCT of Delhi	—Member	

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SURESH GUPTA, Addl. Secy.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2011/पौष 30, 1932 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 253
No. 13] DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2011/PAUSA 30, 1932 [N.C.T.D. No. 253

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जनवरी, 2011

सं. डीई. 23(467) स्कू.शा./2010/84.—बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 36 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 35 के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2), धारा 18 की उप-धारा (5) तथा धारा 19 की उप-धारा (5) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिये अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित को प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

1. शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समस्त स्कूलों के संबंध में
2. निदेशक (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम : उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्कूलों के संबंध में
3. निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् : उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्कूलों के संबंध में
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड : उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्कूलों के संबंध में
5. जिला उप-निदेशक, शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार : उनके क्रमशः क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त स्कूलों के संबंध में

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 20th January, 2011

No. DE. 23 (467) Sch. Br./2010/84.—In pursuance of Seciton 36 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act. 2009, the Lt. Governor, NCT of Delhi, under Section 35 of the RTE Act, 2009, appoints the following as authorized officers for the purposes of according sanction for prosecution for the offences punishable under sub-section (2) of Section 13, sub-section (5) of Section 18 and sub-section (5) of Section 19 of the above Act, namely :—

1. Director of Education, Govt. of N.C.T. of Delhi	:	In respect of all schools within the N.C.T. of Delhi
2. Director (Education), Municipal Corporation of Delhi	:	In respe f schools under his/her jurisdiction
3. Director (Education), New Delhi Municipal Council	:	In resp hools under his/her jurisdiction
4. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board	:	In respect of schools under his/her jurisdiction
5. Distt. Deputy Directors of Education, Directorate of Education, GNCTD	:	In respect of all schools under their respective jurisdictions

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

SURESH GUPTA, Addl. Secy. (Education)

कार्यालय आयुक्त मूल्य संवर्धित कर

(व्यापार एवं कर विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जनवरी, 2011

सं. एफ-II/6/एस टी/एल एण्ड जे/04-05/35.—दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 की धारा 65 सपठित नियम 20 के अधीन प्रावधानों के अनुसार 94 वार्डों के बिक्री कर अधिकारियों द्वारा उपरोक्त नियम की धारा 65 सपठित नियम 20 के अधीन निरस्त किये गये 2465 पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का विवरण, जोकि अनुलग्नक परिशिष्ट में दर्शाये गये हैं, एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं ।

राकेश भटनागर, अतिरिक्त आयुक्त (विधि एवं न्यायिक)